Toppersnotes
Unleash the topper in you

उत्तराखण्ड वनआरक्षी

समूह 'ग'

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

भाग – 2

सामान्य हिन्दी

SIERRA INNOVATIONS

उत्तराखण्ड वनआरक्षी समूह 'ग'

विषय सूची

	शब्द रचना	
1.	भाषा	1
2.	उत्तराखण्ड की बोलिया	4
3.	ध्वनि	9
4.	संधि	11
5.	समास	17
6.	उपसर्ग	21
7.	प्रत्यय	25
	शब्द प्रकार	
8.	तत्सम–तद्भव	31
9.	विदेशी भाषा के शब्द	33
10.	संज्ञा	36
11.	सर्वनाम	38
12.	विशेषण	40
13.	क्रिया	43
14.	अव्यय	45
	शब्द ज्ञान	
15.	पर्यायवाची	49
16.	विलोम शब्द	60
17.	अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	66
18.	शब्द युग्म	71
19.	वर्तनी शुद्धि	80
	व्याकरणिक कोटियाँ	
20.	लिंग	83
21.	वचन	88
22.	वाच्य	94
23.	कारक	96
24.	संज्ञा एंव सर्वनाम पदों की रूप रचना	101
25.	विराम चिन्ह व उनके प्रयोग	105
26.	काल	108

	वाक्य	
27.	वाक्य रचना	111
28.	वाक्य शुद्धि	115
29.	शुद्ध वाक्य	118
	मुहावरे एंव लोकोक्तियाँ	
30.	मुहावरे	126
31.	लोकोक्ति	137
32.	कार्यालयी पत्र	150
	हिन्दी साहित्य	
33.	हिन्दी गद्य एवं पद्य साहित्य का विकास	168
34.	रचना एवं रचनाकार	179

❖ विस्तृत हिन्दी गद्य साहित्य इतिहास

❖ विस्तृत हिन्दी पद्य साहित्य इतिहास

दिए गए QR Code को स्कैन करके टॉपर्सनोट्स अचीवर्स ऐप डाउनलोड करें एवं इस ऐप के माध्यम से किताब में दिए गए QR Codes को स्कैन करके विषय संबंधी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

शब्द रचना

भाषा

"भाषा वह साधन है, जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत पर परस्पर अपना विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है ।

बोली

"बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है; किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलनेवाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलनेवालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती ।"

भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ करता है । इसे सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएँ प्राप्त होती हैं; जबकि बोली को मात्र सामाजिक मान्यता ही मिल पाती है । भाषा का अपना गठित व्याकरण हुआ करता है; परन्तु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता । हाँ, बोली ही भाषा को नये-नये बिम्ब, प्रतीकात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि समर्पित करती है । जब कोई बोली विकास करते-करते उक्त सभी मान्यताएँ प्राप्त कर लेती है, तब वह बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे-खडी बोली हिन्दी जो पहले (द्विवेदी-युग से पूर्व) मात्र प्रांतीय भाषा या बोली मात्र थी वह आज भाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है ।

एक बोली जब मानक भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है तो आस-पास की बोलियों पर उसका भारी प्रभाव पडता है । आज की खडी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी को प्रभावित किया है । हाँ, यह भी देखा जाता है कि कभी-कभी मानक भाषा कुछ बोलियों को बिल्कुल समाप्त भी कर देती है । एक बात और है, मानक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव ही देखा जाता है ।

एक उदाहरण द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है- बिहार राज्य के बेगूसराय खगडिया, समस्तीपुर आदि जिलों में प्रायः ऐसा बोला जाता है-

हम कैह देंगे । हम नैं करेंगे आदि ।

भोजपुर क्षेत्र में : हमें लौक रहा है (दिखाई पड रहा है) । हम काम किये (हमने काम किया)

पंजाब प्रान्त का असर : हमने जाना है (हमको जाना है) ।

दिल्ली-आगरा क्षेत्र मे : वह कहवे था/मैं जाऊँ । मेरे को जाना है ।

कानपुर आदि क्षेत्रों में : वह गया हैगा ।

एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं, जबकि एक बोली में कई भाषाएँ नहीं होतीं ।

बोली बोलनेवाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली में बातें करते हैं; किन्तु बाहरी लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं ।

ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 6 भाषा-परिवार, 179 भाषाएँ और 544 बोलियों हैं-

(क) भारोपीय परिवार : उत्तरी भारत में बोली जानेवाली भाषाएँ ।

(ख) द्रविड परिवार : तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम ।

(ग) आस्ट्रिक परिवार : संताली, मुंडारी, हो, सवेरा, खडिया, कोर्क, भूमिज, गदवा, पलौंक, वा, खासी, मोनख्मे, निकोबारी ।

(घ) तिब्बती चीनी : लुशेइ, मेइथेइ, मारो, मिश्मी, अबोर-मिरी, अक ।

(ड) अवर्गीकृत : बुरूशास्की, अंडमानी भर

(च) करेन तथा मन : बर्मा की भाषा (जो अब स्वतंत्र है)

हिन्दी भाषा

बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हिन्दी भाषा संस्कृत से निष्पन्न है; परन्तु यह बात सत्य नहीं है । हिन्दी की उत्पत्ति प्राकृत से । प्राकृत भाषा अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है । स्पष्ट है कि हमारे आदिम आर्यों की भाषा पुरानी संस्कृत थी । उनके नमूने ऋग्वेद में दिखते हैं । उसका विकास होते-होते कई प्रकार की प्राकृत भाषाएँ पैदा हुई । हमारी विशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी प्राकृत से ही परिमार्जित हुई । प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंशों का जन्म हुआ और उनसे वर्तमान संस्कृतोत्पन्न भाषाओं की । हमारी वर्तमान हिन्दी, अर्द्धमागधी और शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है ।

हिन्दी भाषा और उसका साहित्य किसी एक विभाग और उसके साहित्य के विकसित रूप नहीं हैं; वे अनेक विभाषाओं और उनके साहित्यों की समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक बहुत बडे क्षेत्र-जिसे चिरकाल से मध्यदेश कहा जाता रहा है-की अनेक बोलियों के ताने-बाने से बुनी यही एक ऐसी आधुनिक भाषा है, जिसने अनजाने और

अनौपचारिक रीति से देश की ऐसी व्यापक भाषा बनने का प्रयास किया था, जैसी संस्कृत रहती चली आई थी; किन्तु जिसे किसी नवीन भाषा के लिए अपना स्थान तो रिक्त करना ही था ।

वर्तमान हिन्दी भाषा का क्षेत्र बडा ही व्यापक हो चला है । इसे निम्नलिखित विभागों में बाँटा गया है–

(क) बिहारी भाषा : बिहारी भाषा बँगला भाषा से अधिक संबंध रखती है । यह पूर्वी उपशाखा के अंतर्गत है और बँगला, उडिया और असामी की बहन लगती है । इसके अंतर्गत निम्न बोलियाँ हैं– मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी आदि । मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ठाकुर और भोजपुरी के बहुत बडे प्रचारक भिखारी ठाकुर हुए ।

(ख) पूर्वी हिन्दी : अर्द्धमागधी प्राकृत के अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी निकली है । गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस–जैसे महाकाव्यों की रचना पूर्वी हिन्दी में ही की । दूसरी तीन बोलियाँ हैं– अवधी, बघेली और छत्तीसगढी । मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचनाएँ इसी भाषा में लिखी हैं ।

(ग) पश्चिमी हिन्दी : पूर्वी हिन्दी तो बाहरी और भीतरी दोनों शाखाओं की भाषाओं के मेल से बनी है; परन्तु पश्चिमी हिन्दी का संबंध भीतरी शाखा से है ।

यह राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी से संबंध रखती है । इस भाषा के कई भेद हैं––हिन्दुस्तानी, ब्रज, कन्नौजी, बुँदेली, बाँगरू और दक्षिणी ।

गंगा–यमुना के बीच मध्यवर्ती प्रान्त में और उसके दक्षिण दिल्ली से इटावे तक ब्रजभाषा बोली जाती है । गुडगाँव और भरतपुर, करौली और ग्वालियर तक ब्रजभाषी है । इस भाषा के कवियों में सूरदास और बिहारीलाल ज्यादा चर्चित हुए ।

कन्नौजी, ब्रजभाषा से बहुत कुछ मिलती–जुलती है । इटावा से इलाहाबाद तक इसके बोलनेवाले है । अवध के हरदोई और उन्नाव में यही भाषा बोली जाती है ।

बुँदेली बुंदेलखंड की बोली है । झाँसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर के पूर्वी प्रान्त, मध्यप्रदेश के दमोह छत्तीसगढ के रायपुर, सिउनी, नरसिंहपुर आदि स्थानों की बोली बुँदेली है । छिंदवाडा और हुशंगाबाद के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रचार है ।

हिसार, झींद, रोहतक, करनाल आदि जिलों में बाँगरू भाषा बोली जाती है। दिल्ली के आसपास की भी यही भाषा है ।

दक्षिणी हिन्दी बोलनेवाले मुंबई, बरोदा,बरार, मध्य प्रदेश, कोचीन, कुग, हैदराबाद, चेन्नई, माइसोर और ट्रावनकोर तक फैले है । इन क्षेत्रों के लोग मुझे या मुझको की जगह 'मेरे को' बोलते है ।

भारत की भाषाओं की सूची		
क्र. सं.	भाषाएँ	बोलनेवालों का अनुपात % में
1	संस्कृत	0.01
2	मैथिली	0.9
3	मराठी	7.5
4	नेपाली	0.3
5	पंजाबी	2.8
6	संथाली	0.6
7	मलयालम	3.6
8	मणिपुरी	0.2
9	असमिया	1.6
10	ओडिया	3.4
11	गुजराती	4.9
12	कश्मीरी	0.5
13	कन्नड	3.9
14	डोगरी	0.2
15	कोंकणी	0.2
16	बांग्ला	8.3
17	तमिल	6.3
18	सिंधी	0.3
19	उर्दू	5.2
20	बोडो	0.1
21	तेलुगू	7.9
22	हिन्दी	40.2

देवनागरी लिपि

'हिन्दी' और 'संस्कृत' देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 'देवनागरी लिपी का विकास 'ब्राह्मी लिपी' से हुआ, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है । 8वीं एवं 9वीं सदी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों बडौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में इसका प्रयोग किया था । महाराष्ट्र में इसे 'बालबोध' के नाम से संबोधित किया गया ।

देवनागरी लिपि पर तीन भाषाओं का बडा महत्वपूर्ण प्रभाव पडा ।

(i) फारसी प्रभाव : पहले देवनागरी लिपि में जिह्वामूलीय ध्वनियों को अंकित करने के चिह्न नहीं थे, जो बाद में फारसी से प्रभावित होकर विकसित हुए– क, ख, ग, ज, फ ।

(ii) बांग्ला–प्रभाव : गोल–गोल लिखने की परम्परा बांग्ला लिपि के प्रभाव के कारण शुरू हुई ।

(iii) रोमन-प्रभाव : इससे प्रभावित हो विभिन्न विराम-चिह्नों, जैसे--अल्प विराम, अर्द्धविराम, प्रश्नसूचक चिह्न, विस्मयसूचक चिह्न, उद्धरण चिह्न एवं पूर्ण विराम में 'खडी पाई' की जगह 'बिन्दु' (च्वपदज) का प्रयोग होने लगा ।

देवनागरी लिपि की विशेषताएँ :

- इसके ध्वनिक्रम पूर्णतया वैज्ञानिक हैं ।
- प्रत्येक वर्ग में अघोष फिर सघोष वर्ण हैं।
- वर्गों की अंतिम ध्वनियाँ नासिक्य हैं ।
- छपाई एवं लिखाई दोनों समान हैं ।
- ह्रस्व एवं दीर्घ में स्वर बँटे हैं ।
- निश्चित मात्राएँ हैं ।
- उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है ।
- प्रत्येक के ढिए अलग लिपि चिह्न है ।

उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ एवं बोलियाँ

उत्तराखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ एवं बोलियाँ – हिन्दी की पाँच उपभाषाएँ (पूर्वी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी और पहाडी हिन्दी) तथा इन उप भाषाओं के अन्तर्गत 18 बोलियाँ हैं ।

कश्मीर के दक्षिण-पूर्व सीमा पर भद्रवाह से नेपाल के पूर्वी भाग तक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषा है । परिवार से संबंधित प्रायः सभी बोलियाँ पहाडी उपभाषा के अन्तर्गत आती हैं ।

पहाडी हिन्दी को तीन वर्गों में बाँटा गया है – यथा पूर्वी पहाडी, मध्य पहाडी और पश्चिमी पहाडी । उत्तराखण्ड लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र मध्य पहाडी समूह में आता है जिसके अन्तर्गत मुख्यतः कुमाऊँनी और गढवाली बोलियाँ आती हैं ।

इन बोलियों में साहित्य सृजन और फिल्मों के भी निर्माण हैं । अतः इन्हें भाषा का भी दर्जा प्राप्त है । इन बोलियों (भाषा) के हुए लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है ।

राज्य में हिन्दी (गढवाली, कुमाऊँनी, नेपाली आदि) के अलावा उर्दू, पंजाबी, बांग्ला आदि भाषाएँ भी बोली जाती हैं ।

कुमाऊँनी बोली (भाषा)

राज्य के कुमाऊँ क्षेत्र के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमान्त को छोडकर शेष भू-भाग की भाषा कुमाऊँनी है । इस भाषा के मूल रूप के संबंध में विद्वानों के दो दृष्टिकोण सामने आये है –

(1) कुमाऊँनी का विकास दरद, खस, पैशाची व प्राकृत से हुआ है ।

(2) हिन्दी की ही भाँति कुमाऊँनी का भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ।

प्रथम मत के समर्थक डॉ. ग्रियर्सन, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी तथा डी.डी. शर्मा आदि हैं । जबकि द्वितीय मत के समर्थक डॉ. नारायणदत्त पालीवाल, उदयनारायण तिवारी, डॉ. धीरेन्द्र वर्मा एवं पं. बद्रीदत्त पाण्डे आदि विद्वान हैं ।

ध्वनि, वाक्य विन्यास, शब्दावली और रूप-रचना की दृष्टि से कुमाऊँनी शौरसेनी अपभ्रंश के सर्वाधिक निकट है जिसका की मूल आधार संस्कृत है । इसमें तत्सम व विदेशी शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक है । अतः कुमाऊँनी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से मानना ही यथेष्ट है ।

आज के कुमाऊँनी में तद्भव, तत्सम और स्थानीय शब्दों के अतिरिक्त अगल-बगल की आर्य तथा आर्येत्तर भाषाओं के शब्द ऐसे घुल-मिल गए है कि वे कुमाऊँनी से भिन्न नहीं लगते है । यह खडी बोली हिन्दी से सर्वाधिक प्रभावित है । अतः कई विद्वान इसे पहाडी हिन्दी कहने लगे हैं ।

हिन्दी से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद भी कुमाऊँनी की अपनी खास विशेषताएँ, शब्द सम्पदा, साहित्य तथा अभिव्यक्ति विधान है । वर्तमान में कुमाऊँनी भाषा में पर्याप्त साहित्य सृजन हो रहा है ।

भाषा वैज्ञानिक डॉ. त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि तत्व और रूप रचना के आधार पर कुमाऊँनी को चार वर्गों में बाँटकर उसकी 12 प्रमुख बोलियाँ निर्धारित की है जो इस प्रकार है –

A पूर्वी कुमाऊँनी वर्ग

1. कुमय्याँ – यह नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है ।

2. सौर्याली – यह सौर क्षेत्र में बोली जाती है । इसके अलावा इसे दक्षिण जौहार और पूर्वी गंगोली क्षेत्र में भी कुछ लोग बोलते हैं।

3. सीराली – अस्कोट के पश्चिम में सीरा क्षेत्र में बोली जाती है ।

4. अस्कोटी – यह अस्कोट क्षेत्र की बोली है । इस पर नेपाली भाषा का प्रभाव है ।

B पश्चिमी कुमाऊँनी वर्ग

5. खस पराजिया– यह 12 मंडल और दानपुर के आस-पास बोली जाती है ।

6. पछाई – यह अल्मोडा जिले के दक्षिण भाग में गढवाल सीमा तक बोली जाती है ।

7. फाल्दा कोटी – यह नैनीताल के फलदाकोट क्षेत्र और अल्मोडा के कुछ भागों तथा पाली पछाऊ के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है ।

8. चौगर्खिया – यह चौगर्खा परगना में बोली जाती है ।

9. गंगोई – यह गंगोली तथा दानापुर की कुछ पट्टियों में बोली जाती है ।

10. दनपुरिया – यह दानापुर के उत्तरी भाग और जौहार के दक्षिण भाग में बोली जाती है।

C उत्तरी कुमाऊँनी वर्ग

11. जौहारी – यह जौहार व कुमाऊँ के उत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है । इस क्षेत्र के भेटिया भी इसी भाषा का प्रयोग करते है। इस पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखायी पडता है ।

D दक्षिणी कुमाऊँनी वर्ग

12. नैनीताली कुमाऊँनी या रचभैंसी – यह नैनीताल के दो ओर चौमैंसी पट्टियों, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है । कुछ जगह में इसे नैणतलिया भी कहते है ।

कुमाऊँनी की मुख्य विशेषताएँ

1. 'स' के स्थान पर 'श' का प्रयोग अधिक होता है ।
2. इस बोली पर अवधी बोली का प्रभाव अधिक पाया जाता है ।
3. बहुवचन बनाने के लिये अवधी के समान 'न' जोडा जाता है । जैसे- लडका (एक वचन) लडकन (बहुवचन) ।
4. हिन्दी के अकारान्त शब्द पिथौरागढ की ओर बोली जाने वाली कुमाऊँनी में ओकारान्त हो जाते है । जैसे- गया-गयो, पाया-पायो ।
5. राजस्थानी के प्रभाव के कारण परसर्ग 'ने' के स्थान पर 'ले' या 'ल' तथा 'से' के स्थान पर थै का प्रयोग होता है । जैसे- अदिति ने कहा - अदिति लू कौ, चेला से पूछा- च्वाला थै पुच्छौ इत्यादि ।
6. इसके क्रिया रूप में 'ओ', 'आ' तथा 'इ' भूतकाल के ओर 'ल' वर्तमान एवं भविष्य काल के द्योतक है ।
7. संख्यावाचक शब्दान्त में आने वाला 'ह' वर्ण का कुमाऊँनी में लोप हो जाता है । जैसे - बार, तेर, चौद, पन्द्र, शोल आदि ।
8. प्रायः अन्त्य 'न' का 'ण' हो जाता है। जैसे - वन का वण, अपणा इत्यादि ।
9. ढ ध्वनी 'इ' हो जाती है । जैसे - गढवाल का गडवाल ।
10. चंद्रमा कुमाऊँनी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है तथा इसे 'जून दौडी' कहा जाता है ।

कुमाऊँ क्षेत्र की अन्य बोलियाँ

मझकुमैया – कुमाऊँ तथा गढवाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है । यह कुमाऊँनी – गढवाली का मिलाजुला रूप है ।

गोरखाली बोली – यह नेपाल से लगे क्षेत्रों तथा अल्मोडा के कुछ स्थानों पर गोरखों द्वारा बोली जाती है । यह नेपाली बोली है ।

भावरी – चम्पावत के टनकपुर से रा.रा.न. के काशीपुर तक भावरी बोली जाती है ।

शौका – पिथौरागढ का उत्तरी क्षेत्र शौका बहुल क्षेत्र है, जो कि शौका बोली बोलते है ।

राजी – पिथौरागढ के अस्कोट, धारचुला और डोडीहाट के आस-पास के बनरौत लोग राजी बोली बोलते है ।

बोक्साडी – कुमाऊँ के दक्षिणी छोर पर रहने वाले बोक्सा जनजाति के लोग बौक्साडी बोली बोलते है । जबकि इसी भाग में थारू लोग अपनी बोली बोलते है ।

पंजाबी – कुमाऊँ का दक्षिणी भू-भाग सिक्ख बहुल है । जसपुर, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों में पंजाबी भाषी लोग पंजाबी बोली का प्रयोग करते है । इस पंजाबी बोली में खडी बोली के क्रियारूप साहित्यिक हिन्दी के समान है ।

बांग्ला – कुमाऊँ के दक्षिणी भाग में बंगाली लोगों का भी निवास है जो कि बांग्ला भाषा बोलते है ।

कुमाऊँनी लोक साहित्य

कुमाऊँनी लोक साहित्य के दो भाग है – लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य ।

लिखित साहित्य – कुमाऊँनी के विद्वान डॉ. योगेश चतुर्वेदी अपनी पत्रिका 'गुमानी ज्योति' में लिखते है कि लोहाघाट के एक व्यापारी के पास से चंपावत के चंद राजा थोर अभय चंद का 989 ई. का कुमाऊँनी भाषा में लिखित ताम्र पत्र मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि दसवीं सदी में कुमाऊँनी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी ।

महेश्वर जोशी कुमाऊँनी भाषा का प्रथम तिथि युक्त नमूना 1105-06 के दिंगास अभिलेख (पिथौरागढ) को मानते हुए कुमाऊँनी को (संस्कृत-अपभ्रंश परम्परा से) 10वीं-11वीं शताब्दी में विकसित हुआ मानते है ।

कुमाऊँनी में रचनाओं का सिलसिला सन् 1800 के बाद शुरू हुआ । गुमानी पंत, कृष्ण पांडे, चिंतामणि जोशी,

गंगादत्त उप्रेती, शिवदत्त सती, ज्वालादत्त जोशी, लीलाधर जोशी आदि इस काल के प्रमुख साहित्यकार हैं ।

सन् 1871 से प्रकाशित 'अल्मोडा अखबार' तथा 1918 ई. से प्रकाशित 'शक्ति' साप्ताहिक के प्रकाशन से कुमाऊँनी के विकास में बहुत सहयोग मिला ।

मौखिक लोक साहित्य – मौखिक कुमाऊँनी लोक साहित्य में लोकगीतों, लोककथाओं, लोकगाथाओं आदि को सम्मलित किया जा सकता है ।

कुमाऊँ क्षेत्र में लोकगीतों की एक समृद्ध परम्परा रही है । प्रसंगानुसार यहाँ के गीतों को कृषिगीत, ऋतुगीत, संस्कारगीत, अनुभूति प्रधान गीत, नृत्य गीत, तर्क प्रधान गीत आदि प्रकारों में बाँटा जा सकता है ।

कुमाऊँ क्षेत्र में मनोरंजन एवं जनशिक्षा के लिए कई प्रकार की लोकगाथाएँ पायीं जाती हैं, जिनका हस्तांतरण मौखिक रूप से पीढी दर पीढी होता चला आ रहा है । यथा परम्परागत् गाथाएँ, पौराणिक गाथाएँ, धार्मिक गाथाएँ एवं वीर गाथाएँ आदि ।

यहाँ की परंपरागत लोक गाथाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्राचीन लोकगाथा क्रमशः मालूशाही एवं रमौल हैं ।

पौराणिक लोकगाथाओं को 'जागर' कहा जाता है । इन गाथाओं को देवताओं की प्रसन्नता, भूत-प्रेत से मुक्ति या किसी व्याधि से छुटकारा पाने के लिए गाया जाता है । इन गाथाओं में राम, कृष्ण, 24 अवतार, शिव पार्वती आदि के प्रसंग आते हैं ।

धार्मिक लोकगाथाओं को धार्मिक अनुष्ठान एवं तंत्र-मंत्र के समय गाया जाता है । इसमें कभी-कभी नृत्य भी किया जाता है । ग्वल्ल, गघनाथ, मसाण, एडी, सैम, भूमियों, नंदा देवी आदि प्रमुख धार्मिक लोकगाथाएँ हैं ।

यहाँ वीरगाथाओं को भडो कहा जाता है । इन गाथाओं में शासकों एवं अन्य वीरों की गाथाएँ गाई जाती है । भीमा कठैत, परमा रौतेला, रतुवा फडत्याल, अजवा, बकौल आदि यहाँ की प्रमुख वीर लोक गाथाएँ है ।

धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा एवं मनोरंजन हेतु कुमाऊँ क्षेत्र में अनेक लोक कथाओं का प्रचलन है । विषय की दृष्टि से ये कथाएँ राजा-रानी, पशु-पक्षी, भूत-प्रेत, संत-महात्मा आदि से सम्बन्धित होती हैं ।

कुमाऊँनी लोक साहित्य में पहेलियाँ, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों का भी खूब प्रयोग होता है । पहेलियों को यहाँ आण कहा जाता है ।

गढवाली बोली (भाषा)

कुमाऊँनी भाषा की भाँति गढवाली की उत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है । कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति 'दरद' या 'खश' से मानते हैं । जिसकी स्थापना का आधार मात्र यही है कि खश गढवाल में निवास करते थे जबकि अधिकांश विद्वान इसकी उत्पत्ति 'शौरसैनी' अपभ्रंश से मानते हैं ।

मैक्समूलर ने अपनी पुस्तक 'साइंस ऑफ लैंग्वेज' में गढवाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है ।

हरिराम धस्माना ने अपनी पुस्तक 'वेदमाला' में गढवाली और वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी है जिसमें बताया गया है कि गढवाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप में ही होता है ।

बोली की दृष्टि से गढवाली को डॉ. ग्रियर्सन ने 8 भागों श्रीनगरी, नागपुरिया, दसौल्या, बधाणी, राठी, मांझ कुमैयां, सलाणी एवं टिहरयाली में विभक्त किया है ।

साहित्य की रचना के लिए विद्वानों ने टिहरी व श्रीनगर के आसपास की बोली को मानक गढवाली भाषा माना है ।

गढवाली की मुख्य विशेषताएँ

1. गढवाली भाषा में देश के कुछ अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिसका मूल कारण देश के कोने-कोने से तीर्थ यात्रियों का यहाँ आना है ।
2. इसमें हिन्दी के मूल स्वरों के अलावा कई अन्य स्वरों का भी अस्तित्व है ।
3. इसकी अधिकांश शब्द रचना हिन्दी खडी बोली पर आधारित हैं ।
4. 'न' के स्थान पर 'ण' का प्रयोग बहुलता से किया जाता है ।
5. लिंग निर्धारण के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है । लिंग निर्धारण प्रायः पद निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है । शब्दों से जुडे हुए प्रत्ययों के अनुसार ही स्त्री लिंग व पुल्लिंग वाक्य की रचना होती है ।
6. सभी मूल स्वरों के अनुनासिक रूप मिलते हैं । जैसे- अध्यारौं, बिजणौं, लौंण, ढुंगी, मैडा, नौण, चौलं, औला, मैन आदि ।
7. बलात्मक स्वराघात की अधिकता है । कभी-कभी विशेषणों में गुणाधिक्य प्रकट करने के लिए स्वराघात होता है । जैसे- मिट्ठे अत्यधिक मीठा, लाऽल- अत्यंत लाल ।

8. संख्यावाचक विशेषणों में स्वागत की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक है । जैसे ग्यारह – अग्यारा, बारह बारा, दो– द्वि, सत्तर – सौंतर आदि ।

गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियाँ

खड़ी हिन्दी – गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की, देहरादून आदि नगरों में खड़ी हिन्दी का प्रयोग होता है । इन क्षेत्रों में हरियाणवी खड़ी बोली भी बोली जाती है ।

जौनसारी – गढ़वाल क्षेत्र के ऊँचाई वाले स्थानों तथा देहरादून के जौनसार- बाबर क्षेत्र में जौनसारी बोली का प्रचलन है ।

भोटिया – यह बोली चमोली (गढ़वाल) तथा पिथौरागढ़ (कुमाऊँ) के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है ।

गढ़वाली लोक साहित्य

गढ़वाल के लोक साहित्य को दो भागों लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य में बाँटा जा सकता है ।

लिखित साहित्य – सामान्य तौर पर गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ 1750 ई. से माना जाता है । लेकिन श्याम चंद्र नेगी गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह (1815–56 ई.) द्वारा लिखित 'गोरखवाणी' (गोरखाओं के काल की बातें) से गढ़वाली लिखित साहित्य का आरंभ मानते हैं ।

विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को आरंभिक, गढ़वाली, सिंह, पांथरी एवं आधुनिक आदि 5 कालों में बाँटा जा सकता है ।

आरंभिक काल की प्रमुख काव्य रचनाएँ हैं – 1. बुरो संग – हर्षपुरी 2. चेतावनी – हरि कृष्ण दौर्गादन्ति 3. विरह – लीलानन्द कोटनाला आदि ।

गढ़वाली काल का आरम्भ 1905 ई. में टिहरी से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली पत्र से शुरू होता है । इस पत्र में सत्यनारायण रतूड़ी, सत्यशरण, चन्द्रमोहन रतूड़ी एवं आत्माराम गैरोला आदि लेखकों (कवियों) की अनेक रचनाएँ छपी । इस पत्र के प्रथम अंक में सत्यनारायण रतूड़ी की कविता '3ठो गढ़वालियों' को काफी प्रसिद्धि मिली थी ।

सिंह काल के प्रमुख कवि भजन सिंह हैं । इन्होंने सामाजिक बुराइयों पर कई कविताएँ लिखीं । इनकी 'सिंहनाद' कविता गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा है ।

भगवती प्रसाद पांथरी, पांथरी काल के प्रतिनिधि कवि हैं । इनकी 'हिलांसी' नामक रचना इस काल की प्रमुख रचना है जिसमें मुख्य विषय स्वतंत्रता आंदोलन है ।

दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाले, घनश्याम रतूड़ी आदि आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं, जिनके प्रयासों से 'गढ़वाल जनसाहित्य परिषद्' की स्थापना हुई ।

मौखिक लोक साहित्य – मौखिक लोक साहित्य से तात्पर्य उन रचनाओं से है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते आ रहे हैं । मौखिक लोक साहित्य की प्रमुख विधाएँ इस प्रकार हैं–

1. लोक गीत – शैली, भाषा, वर्ण्य विषय आदि के आधार पर यदि वर्गीकृत किया जाये तो यहाँ धार्मिक, संस्कारिक मांगलिक, ऋतु, प्रेम या प्रणय, नृत्य, देश भक्ति पूर्ण, मनोरंजनात्मक आदि कई प्रकार के लोकगीतों का प्रचलन है ।
2. लोक कथा – जनमानस के मनोरंजन, धार्मिक प्रयोजन तथा शिक्षा के लिए यहाँ कई प्रकार की लोक कथाएँ मिलती हैं जो कि मानवीय भावनाओं, समस्याओं, रीति – रिवाजों तथा लोक परंपराओं से जुड़ी होती हैं । ये कथाएँ देवी देवताओं संबंधी, पशु–पक्षी संबंधी, राजा–रानी संबंधी, भूत–प्रेत संबंधी, परियों संबंधी या वीरों आदि पर आधारित होती हैं ।
3. लोक गाथा – लोक गाथाएँ लोक जीवन के कथात्मक–लोकगीत कहीं जा सकती हैं । इन गाथाओं के गायन में वाद्ययंत्र प्रयुक्त होता है और थोड़ा–बहुत नृत्य भी किया जाता है । इन गाथाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है–

(क) लौकिक या ऐतिहासिक लोकगाथाएँ (पवाड़े) व

(ख) पौराणिक लोकगाथाएँ (जागर)

(क) लौकिक लोकगाथाएँ (पवाड़े) दो भागों में बाँटी जा सकती हैं – प्रेम या प्रणय गाथाएँ व वीरतापूर्ण गाथाएँ ।

तीलू रौतेली, रुदी, कफ्फू चौहान, गढ़ू सुम्याल, सूरज कौल, कैंत्युरा, जगदेव पंवार, रणुरौत, कालू भंडारी (मुख्य), ब्रह्मकुँवर, भानू भोंपिला आदि यहाँ की प्रमुख वीरतापूर्ण लोक गाथाएँ हैं ।

जसी, रह कुमैण, राजुला मालूशाही (मुख्य), जीतू बगड़वाल, कुसुमा कोलिण, फ्यूंज्ञी, गंगनाथ, अर्जुन बासुदत्ता आदि यहाँ की प्रमुख प्रणय या प्रेम लोकगाथाएँ हैं ।

(ख) पौराणिक लोकगाथाएँ (जागर) पौराणिक काल की घटनाओं से संबंधित होती हैं जैसे– कृष्ण संबंधी गाथाएँ, पांडव संबंधी गाथाएँ, स्थानीय देवताओं सम्बन्धी गाथाएँ आदि ।

4. <u>लोकोक्तियाँ</u> – लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है । गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को अखाणा पखाणा या किस्सा कहा जाता है ।
5. <u>पहेलियाँ</u> – यहाँ पहेलियों का खूब प्रयोग होता है । पहेलियों को यहाँ आणा या ऐण कहा जाता है ।
6. <u>लोकवार्ता</u> – लोकवार्ता यहाँ पंडूली नाम से जानी जाती है जो कि गेय व तत्काल निर्मित कविता के रूप में होती है । इसमें वाद्य के साथ नृत्य करते हुए कवित्त शैली में प्रश्न व उत्तर होता है ।

ध्वनि

'ध्वनि' का अर्थ है–वर्ण या भाषा की लघुतम इकाई । इसका खंड या टुकडा नहीं हो सकता ।
अर्थात 'वर्ण वह मूल ध्वनि है, जिसका खंड नहीं होता ।'' वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं । हिन्दी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं–

1. स्वर वर्ण (11)

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ ।
स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है । ऊपर के किसी वर्ण का उच्चारण लगातार किया जा सकता है सिर्फ 'ऋ' वर्ण को छोडकर; क्योंकि ऋ का लगातार उच्चारण करने पर 'इ' स्वर आ जाता है ।
उच्चारण में लगनेवाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बाँटा गया है–
(a) मूल या ह्रस्व स्वर– अ, इ, उ और ऋ
(b) दीर्घ स्वर–आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, और औ
ए : अ/आ + इ/ई (गुण होने के कारण)
ओ : अ/आ + उ/ऊ (गुण होने के कारण)
ऐ : अ/आ + ए (वृद्धि होने के कारण)
औ : अ/आ + ओ (वृद्धि होने के कारण)
जाति के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में रखा गया है–
(a) सजातीय/सवर्ण स्वर : इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है । ये ह्रस्व और दीर्घ के
जोडेवाले होते हैं । जैसे–
अ–आ इ–ई उ–ऊ
(b) विजातीय/असवर्ण स्वर : ये दो भिन्न उच्चारण स्थानवाले होते हैं । जैसे–
अ–इ उ–ओ आदि ।
स्वरों के प्रतिनिधि रूप, जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है 'मात्रा' कहते हैं ।

2. व्यंजन वर्ण (33)

व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक-रूक कर होता है । ये वर्ण आधी मात्रावाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव है ।
व्यंजन वर्णो को तीन भागों में बाँटा गया है–
(क) स्पर्श व्यंजन : ये वर्ण विभिन्न वागिन्द्रियों (कंठ, तालु, मूर्द्धा, दन्त, ओष्ठ आदि) से स्पर्श क कारण उच्चरित होते हैं । इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं–
कवर्ग : क् ख् ग् घ् ङ्
चवर्ग : च् छ् ज् झ् ञ
टवर्ग : ट् ठ् ड् ढ् ण् (ड, ढ)
तवर्ग : त् थ् द् ध् न्
पवर्ग : प् फ् ब् भ् म्
(ख) अन्तःस्थ व्यंजन : ये वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच आते हैं । इसके अंतर्गत य्, र्, ल् और व्– ये चार ध्वनियाँ आती हैं ।
(ग) ऊष्म व्यंजन : ये ऐसे वर्ण है, जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है । इसके अंतर्गत श्, ष्, स् और ह् आते हैं ।
(iii) अयोगवाह वर्ण : 'अनुस्वार' और 'विसर्ग' अयोगवाह वर्ण हैं । ये स्वर एवं व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं । जैसे–
अं–अः (स्वर द्वारा) कं–कः (व्यंजन द्वारा)
उच्चारण में वायु-प्रक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्णों के दो प्रकार हैं–
(क) अल्पप्राण : ऐसे वर्ण, जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार-जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है । इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, अनुस्वार और अन्तःस्थ व्यंजन आते हैं । इसकी कुल संख्या 11 + 15 + 1 + 4 =31 है ।
(ख) महाप्राण : महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार-जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है । इसके अंतर्गत सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, विसर्ग और ऊष्म व्यंजन आते हैं । इसकी कुल संख्या 10 + 1 + 4 = 15 है ।
स्वर-तंत्री के आधार पर चर्णों को दो अन्य भागों में भी बाँटा गया है ।
(क) घोष या सघोष वर्ण : घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर-तंत्रियों आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकलती है । फलतः झंकृति पैदा होती है । इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, अन्तःस्थ और ह आते हैं ।
(ख) अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर-तंत्रियाँ परस्पर नहीं मिलती । फलतः वायु, आसानी से निकल जाती हे । इस वर्ग में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों स (श, ष, स) आते हैं ।
आभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को चार और व्यजनों को आठ वर्गों में रखा गया है–

स्वर	प्रकार	वर्ण
	संवृत स्वर	इ, ई, उ और ऊ
	अर्द्धसंवृत स्वर	ए, ऐ, ओ और औ
	अर्द्धविवृत स्वर	ॲ
	विवृतस्वर	आ

व्यंजन	प्रकार	वर्ण
	स्पर्श व्यंजन	क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प. फ, व, भ
	स्पर्श संघर्षी व्यंजन	न, छ, ज और ज्ञ
	संघर्षी व्यंजन	म, श, ह, ख, ग, ज, फ और व
	अनुनासिक	छ, ज, ण, न, म और अनुस्वार
	पार्श्विक	ल
	लुंठित/प्रकंपी	र
	उत्क्षिप्त	ड, ढ
	अर्द्ध स्वर	य और व

उच्चारण-स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है-

	प्रकार	वर्ण
1.	कंठ्य वर्ण	अ, आ, कवर्ग, विसर्ग और ह
2.	तालव्य वर्ण	इ, ई, चवर्ग, य और श
3,	मूर्द्धन्य वर्ण	ऋ, टवर्ग, र और ष
4.	दंत्य वर्ण	तवर्ग और स
5.	वर्त्स्य वर्ण	ल
6.	ओष्ठ्य वर्ण	उ, ऊ और पवर्ग
7.	कण्ठ-तालव्य वर्ण	ए और ऐ
8.	कण्ठोष्ठ्य वर्ण	ओ और औ
9.	दन्तोष्ठ्य वर्ण	व
10	नासिक्य वर्ण	पंचमाक्षर और अनुस्वार
11.	अलिजिह्व वर्ण	क, ख, ग, ज और फ

उच्चारण करने की स्थिति में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती रहती है और ध्वनियों के मध्य आवश्कतानुसार अल्पकालिक विराम की अवस्था आती है । इसी को 'संगम' कहा जाता है । इस एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने के दो तरीके होते हैं-

(क) कभी वक्ता सीधे पहली से दूसरी ध्यनि पर चला जाता है । जैसे -

तुम् (तुम्हारा के उच्चारण में)

(ख) कभी वक्ता थोडा ज्यादा समय लता है । जैसे-

तुम हारे (तुम्हारे के उच्चारण में)

संगम के लिए किसी विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं पडती है । इसके प्रयोग से शब्दों या वाक्यों के अर्थो में भिन्नता आ सकती है । जैसे-

नफीस - खुन्दर (एक साथ उच्चारित होने पर)

न फीस-निःशुल्क (अलग-अलग उच्चारित होने पर)

सोना- स्वर्ण सो ना- मत सो

वाक्यों में प्रयोग देखें-

वह बैलगाडी खींचता है । (कोई व्यक्ति)

वह बैल गाडी खींचता है । (बैल के बारे में)

उच्चारण के समय जब स्वरों पर अधिक बल पडता है तब उसे बलाघात या स्वराघात कहा जाता है ।

यह तीन तरह का होता है-

1. वर्ण-बलाघात : इससे अर्थ में अन्तर आ जाता है। जैसे-पिट-पीट, लुट-लूट

इन उदाहरणों में स्पष्ट देखा जा रहा है कि 'पि' और 'लु' पर बलाघात के कारण अर्थो अंतर आ गया है ।

2. शब्द-बलाघात : इससे वाक्यों के अर्थो में स्पष्टता आती है ।

3. वाक्य-बलाघातः इसमें वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों पर बलाघात के कारण भावों में अंतर देखा जाता है ।

ध्वनियों की उस छोटी से छोटी इकाई को 'अक्षर' कह जाता है, जिनका उच्चारण एक झटके में होता है । जैसे-

आ- एक ध्वनिवाला अक्षर

खा- दो ध्वनियों वाला अक्षर

बैठ- तीन ध्वनियों वाला अक्षर

अक्षर दो प्रकार के होते हैं-

1. बद्धाक्षर : जिसकी अंतिम ध्वनि हलंतयुक्त हो । जैसे- श्रीमान्, जगत्, परिषद् आदि ।

2. मुक्ताक्षर : जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो । जैसे- खा, ला, पी, जा, जगत आदि ।

जब कोई व्यंजन वर्ण स्वयं से ही संयोग करें, तो वह 'युग्मक ध्वनि' और जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग करे तो वह 'वयंजन गुच्छ कहलाता है ।

शॉर्ट ट्रिक

वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए इसे याद कर लें

'अकह विसर्ग' कण्ठराम । 'इचयश' भी हैं तालु राम ॥
'ऋटष' से जानो मूर्द्धा जी । 'लृतस' पुकारो दन्त जी ॥
'उप' आते हैं ओष्ठ में । केवल 'व' दन्तोष्ठ में ॥
'ए-ऐ' कहे कण्ठ-तालु । 'ओ-औ' कहे कण्ठोष्ठ में ॥
नासिका से पंचमाक्षर । जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में ॥

संधि

- संधि का शाब्दिक अर्थ – मेल/जोडना
- संधि का संधि विच्छेद – सम + धि
- संधि शब्द का विलोम – विग्रह/विच्छेद
  जैसे :- जगत् + ईश – जगदीश

- संधि – दो या दो से अधिक वर्णो के मेल होने से वर्णो में विकार उत्पन्न होता है और नये सार्थक शब्द की रचना हो जाती है उन्हें संधि कहते है।

- संधि सदैव समान अर्थ में होती है। विरोधी अर्थो में संधि नहीं होती

- विश्व + अनाथ – विश्वनाथ – विश्व नाथ
  विश्व + अमित्र – विश्वामित्र – विश्व मित्र
  दीन+अनाथ – दीनानाथ – दीन नाथ
  षट् + अंग – षडग
- संधि में सदैव वर्णो में विकार परिवर्तन उत्पन्न होना चाहिए तो संधि होती है। यदि वर्णो में विकार उत्पन्न नहीं होता है तो संधि नहीं होकर वह संयोग कहलाता है।

- अन् + उचित / अनुचित
  संयोग – निर् + अर्थक / निरर्थक
  सम् + उचित / समुचित

संधि के भेद

स्वर संधि | व्यंजन संधि | विसर्ग संधि

- स्वर संधि :- यदि स्वर के बाद स्वर आता है तो स्वर में विकार उत्पन्न हो जाता है उसे स्वर संधि कहते है।
  स्वर संधि के पाँच भेद :-

1. दीर्घ स्वर संधि :- (आ, ई, ऊ)

नियम

1. यदि अ/आ के बाद सवर्ण अ या आ आता है तो दोनो के स्थान पर दीर्घ एकादेश 'आ ' हो जाता है।

2. इ या ई के बाद सवर्ण इ या ई आता है दोनो के स्थान पर दीर्घ एकादेश ई हो जाता है।

- नियम 3 – यदि उ या ऊ के बाद सवर्ण उ या ऊ आता है तो दोनो के स्थान पर दीर्घ एकादेश ऊ हो जाता है
- उदाहरण – अ /आ या आ /अ

दाव + अग्नि = दावाग्नि जगंल की आग
राम + अयन = रामायण
पंच + आयत = पंचायत
मुक्ता + अवली = मुक्तावली
दीप + अवली = दीपावली

वडवा + वडव अग्नि – वडवाग्नि समुद्र की आग
काम + अग्नि – कामाग्नि
जठर + अग्नि – जठराग्नि पेट की आग
रवि + इन्द्र – रवीन्द्र
कवि + ईश – कवीश
नदी + ईश – नदीश
मही + इन्द्र – महीन्द्र
वधु + उल्लास – वधूल्लास
चमू + उल्लास – चमूल्लास
भानु + उदय – भानूदय
धेनू + उत्सव – धेनूत्सव

2. <u>गुण सन्धि</u> –
नियम 1 –यदि अ आ के बाद इ या ई आये तो ए हो जाता है ।
नियम 2 – अ आ के बाद उ ऊ आता है तो दोनो के स्थान पर 'ओ' हो जाता है।
नियम 3 – अ आ के बाद ऋ आता है तो दोनो के स्थान पर 'अर' हो जाता है।

उदाहरण – महा + ईश – महेश
महा + इन्द्र – महेन्द्र
रमा + ईश – रमेश
गण + ईश – गणेश
चाँदनी राका + ईश – राकेश
हर्षीक + ईश – हर्षीकेश
वसंत + उत्सव – वसंतोत्सव
गंगा + उत्सव – गंगोत्सव
गंगा + ऊमि – गंगोर्मि
समुद्र + ऊर्मि – समुद्रोर्मि
शीत + उत्सव – शीतोत्सव
महा + ऋषि – महार्षि

- <u>सन्धि</u> –

नियम 1 – अ आ के बाद ए या ऐ आता है तो दोनो के स्थान पर 'ऐ' हो जाता है।
नियम 2 – यदि अ आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनो के स्थान पर 'औ' हो जाता है।
उदाहरण – सदा + एव – सदैव

महा + ऐश्वर्य – महैश्वय
महा + ओज – महौज
महा + ओघ – महौघ
जल + ओघ – जलौघ
महा + ओषधि – महौषधि
महा + औषधालय – महौषधालय
गंगा + ओघ – गंगौघ
जल + ओघ – जलौघ
एक + एक – एकैक
तथा + एव – तथैव

अपवाद :-
प्र + ऊढ – प्रौढ
अक्ष + ऊहिनी – अक्षौहिनी
स्व + ईरिणी – स्वैरिणी नदी को कहते है
शुद्ध + ओदन चावल – शुद्धोदन

4. यण् सन्धि
नियम 1 – इ ई के बाद असमान स्वर आता है तो इ ई के स्थान पर 'य्' हो जाता है।
नियम 2 – उ ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो उ ऊ के स्थान पर 'व्' हो जाता है।
नियम 3 – ऋ के बाद असमान स्वर आता है तो ऋ के स्थान पर 'र्' हो जाता है।

अक्षर से पहले आधा अक्षर आता है तो 99% यण सन्धि होगी ।

उदाहरण –
अधि + अयन – अध्ययन
अधि + आय – अध्याय
अनु + अय – अन्वय
गुरू + आदेश – गुर्वादेश
भानु + आगम – भान्वागम
सु + आगत – स्वागत
सु + आर्थ – स्वार्थ
सु + अच्छ – स्वच्छ
सु + अल्प – स्वल्प
मातृ + आज्ञा – मात्राज्ञा
पितृ + आज्ञा – पित्राज्ञा
मातृ + आदेश – मात्रादेश
भ्रातृ + ऐश्वय – भ्रात्रैश्वर्य
धातृ + अंश – धात्रैश

5. अयादि सन्धि

नियम 1 – ए के बाद कोई भी स्वर आये आता है तो ए के स्थान पर अय् हो जाता है।
नियम 2 – ऐ के बाद काई भी स्वर आता है तो ऐ के स्थान पर आय् हो जाता है
नियम 3 – ओ के बाद कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान अव् हो जाता है।
नियम 4 – औ के बाद कोई स्वर आता है तो औ के स्थान पर आव् हो जाता है।

उदाहरण –
ने + अन – नयन
गै + अन – गायन
पो + इत्र – पवित्र
श्री + अन – श्रवण

रौ + अन – रावण
विधै + अक – विधायक
चे + अन – चयन

पो + अन – पवन
हरे + ए – हरये
धै + अक – धावक

व्यंजन सन्धि

व्यंजन सन्धि – व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो व्यंजन मे विकार उत्पन्न हो जाता है उसे व्यंजन सन्धि कहते है।

नियम 1 –किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि काई स्वर आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है ।

उदाहरण –
जगत् + ईश –जगदीश
वाक् + ईश्वर – वागीश्वर
वाक् + ईश्वरी – वागीश्वरी
उत् + आहरण – उदाहरण

नियम 2 –किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा , चौथा या य,व ,र वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है।
उदाहरण –
सत् + धर्म – सद्धर्म
षट् + रस – षड्रस

षट् + रिपु – षड्रिपु
अब + ज – अब्ज कमल
अब + द – अब्द बादल

नियम 3 – यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद 'ह' आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है और ह के स्थान पर भी उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाता है।

उदाहरण –
उत् + हार – उद्धार
तत् + हित – तद्धित
रत्नमुट् + हिरा – रत्नमुंडिरा
वाक् + हरि – वाग्धरि

नियम 4 – यदि किसी 'वर्ग के चतुर्थ वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आता तो प्रथम चतुर्थ के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है।

उदाहरण –
वुध् + अध – बुद्धि
रिध् + ध – रिद्ध
लभ् + धि – लब्धि
युध् + ध – युद्ध

नियम 5 –यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण के स्थान पर भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है

उदाहरण –
जगत् + नाथ – जगन्नाथ
रात् + मति – रान्मति
मृत + मय – मृन्मय
मृत् + मूर्ति – मृन्मूर्ति
वाक् + मय – वाङ्मय
मृण्मय, मृण्मूर्ति

नियम 6 – यदि म के बाद क से लेकर म तक कोई वर्ण आता है तो म को अनुस्वार हो जाता है या फिर अगले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है

उदाहरण –
राम + धि – रांधि/ रान्धि
रम् + गढन – रंगठन
रम् + जय – रंजय
अलम् + कार – अलंकार
शम् + कर – शंकर
रम् + कर – रंकर
रगंठन – रङ्गठन – रङठन
अलंकार – अलङ्कार – अलङकार
शंकर – शङकर

नियम 7 – यदि म के बाद य र ल व ष श स ह आता है ता म के स्थान पर केवल अनुस्वार हो जाता है।

उदाहरण –
रम् + यम – रंयम
रम् + शोधन – रंशोधन
रम् + सार – रंसार
रम् + विधान – रंविधान
रम् + हार – रंहार

नियम – रम् उपसर्ग के बाद क धातु से बने हुए शब्द (कार , करण , कर्ता , कर) आदि आता है तो म का अनुस्वार हो जाता है और बीच मे स् का आधम हो जाता है

उदाहरण –
रम् + कार – रंस्कार
रम् + कृत – रंस्कृत
रम् + करण – रंस्करण
रम् + कृति – रंस्कृति

नियम – यदि परि उपसर्ग के बाद कृ धातु से बने हुए शब्द (कार, कर्ण, कर्ता , कर , कृति) आते है तो बीच मे मुर्धा ष् का आगम हो जाता है।
कर्त्तण्य – राही कर्तव्य , कर्त्ता – राही कर्ता

उदाहरण –
परि + करण – परिष्करण
परि + कार – परिष्कार
परि + कर्ता – परिष्कर्ता

नियम 10 – यदि त द् के बाद स्थ आता है तो स्थ के स् लोप हो जाता है

उदाहरण –
उत् + स्थान = उत्थान
उत् + स्थित = उत्थित जागना
उत् + स्थानम् = उत्थानम्

नियम 11 –यदि त द् के बाद क ख प फ त स आता है तो त् ,द् के स्थान पर त् हो जाता है।

उदाहरण –
उद् + कर्ष – उत्कर्ष
उद् + + तम – उत्तम
तद् + पुरूष – तत्पुरूष

संसद् + सम – संसत्सत्र
उद् + खनन – उत्खनन

नियम 12 –यदि निस् दुस् उपसर्ग के बाद क, ट ,प, फ आता है तो निस् दुस् के स् के स्थान पर मुर्धा ष् हो जाता है।
उदाहरण –
निस् + कृर्ष – निष्कर्ष
निस् + टंकार – निष्टंकार
दुस् + कम – दुष्कर्म
दृस् + पाप – दुष्पाप
दुस् + फल – दुष्फल
निष्टंकार – आवाज न करना ।

नियम 13 – ष के बाद त थ आता है तो त के स्थान पर ट थ के स्थान पर ठ हो जाता है।
उदाहरण – सृप् + ति – सृष्टि
दृष् + ति – दृष्टि
हष् + त – हष्ट
पुष् + त –पुष्ट
षष् + थ – षष्ठ

नियम 14 – यदि इ/उ के बाद स आता है तो स के स्थान पर ष हो जाता है
उदाहरण – अभि +सेक – अभिषेक
नि + संग – निषंग
नि + सेध –निषेध
वि + सम – विषम
सु + समा – सुषमा
निशंग – तरकस – राष् + त्र – राष् + ट्र
राष्ट्र + संन्धि – राष् + त्र = राष्ट्र

नियम 15 - यदि इ/उ के बाद स्थ आता है तो स्थ के स्थान पर ष्ठ हो जाता है।
उदाहरण – नि + स्था – निष्ठा
प्रति + स्था – प्रतिष्ठा
प्रति + स्थित –प्रतिष्ठित
युधि + स्थिर – युधिष्ठिर

नियम – 16 यदि किसी स्वर के बाद अगर छ आता है तो बीच में च् का आगम हो जाता है।
उदाहरण – अनु + छेद – अनुच्छेद
वि + छेद – विच्छेद
(चारों तरफ का) परि + छेद– परिच्छेद
मातृ + छाया – मातृच्छाया
लक्ष्मी + छाया – लक्ष्मीच्छाया

नियम – 17 यदि त्/द के बाद अगर च, छ आता है तो त् द् के स्थान पर भी च् हो जाता है।
उदाहरण – सत् + चित = सच्चित
सत् + चरित्र = सच्चरित्र
उत् + छेद = उच्छेद
उत् + चारण = उच्चारण

उत् + छिन्न = उच्छिन्न
शरत् + चन्द्र = शरच्चन्द्र
नियम 18 – यदि त् द् के बाद ज या झ आता है तो त् द् के स्थान पर भी ज् हो जाता है।
उदाहरण –
विद्युत् + ज्योति = विद्युज्जयोति
जगत् + ज्वल = जगज्जवाला
उत् + ज्वल = उज्जवल
वहत् + झंकार = वहज्झंकार
महत् + झंकार = महज्झंकार
जगज्जवाला = जगत की ज्वाला

नियम 19 –यदि क त् द् के बाद ट, ठ, हो तो त् द् के स्थान पर भी ट् हो जाता है।

उदाहरण –
तत् + टीका = तट्टीका
वृहत् + टीका = वृहट्टीका
2. त् द् के बाद ड, ढ होतो ड् हो जाता है।
उदाहरण –
उत् + डयन = उड्डयन
उत् + डीन = उड्डीन

नियम 20 – त् द् के बाद ल हो तो त् द् के स्थान पर भी ल् हो जाता है।
उदाहरण –
तत् + लीन = तल्लीन्
तत् + लय = उल्लय
उत् + लेख = उल्लेख
उत् + लिखित = उल्लिखित

नियम 20 –यदि के बाद ल आता है तो के स्थान पर म् को अनुनासिक हो जाता है । और बीच मे ल् का आगम हो जाता है।
उदाहरण –
विद्वान् + लिखति – विद्वानल्लिखित
महान् + लिखति – महाँल्लिखति
महान् + लेख – महाँल्लेख
विद्वान् + लेख – विद्वांल्लेख

नियम 21 –यदि त् द् के बाद ष आता है तो त् द् के स्थान च् हो जाता है और ष के स्थान पर छ हो जाता है।

उदाहरण –

तत् + शिव – तच्छिव
उत् + श्वास – उच्छ्वास
उत् + श्वास – उच्छ्वास लम्बश्विस
श्रीमत् + शरत् + चन्द्र – श्रीमच्छरचन्द्र

नियम 22 –यदि अहन् के बाद र से भिन्न वर्ण आता है तो न् के स्थान पर र् हो जाता है

उदाहरण –

अहन् + पति – अहपति दिन का स्वामी
अहन् + ऐश्वर्य – अहरैश्वर्य
अहन + गण – अहगण
अहन् + अहन् – अहरह

अहन् के बाद अहन आता है तो अन्तिम न् का लोप हो जाता है।

नियम 23 –यदि अहन् के बाद र वर्ण आता है तो अहन् के स्थान पर अहो हो जाता है।

उदाहरण–

अहन् + रथ – अहोरथ
अहन् + रूप – अहोरूप
अहन् + रात्रि – अहारात्रि – अहोरात्र
अहोरात्र द्वन्द्व समास

नियम 24 – ऋ र ष के बाद न का ण हो जाता है

उदाहरण –

प्र + नाम – प्रणाम
परि + नाम – परिणाम
परि + नय – परिणय
ऋ + न – ऋण
राम + अयन – रामायण दीर्घ
मीरा + अयन – मीरायण दीर्घ
रस + अयन – रसायण

नियम 26 – यदि म से पहले च वर्ग ट वर्ग त वर्ग या श स , ह ,ल आता है तो न का ण नही होता है ।

उदाहरण –

रस + अयन – रसायन
दक्षिण + अयन – दक्षिणायन
राजा + अयन – राजायन

वर्णलोप –

पक्षिन + राज – पक्षिराज
प्राणिन + नाथ – प्राणिनाथ
युवन + राज – युवराज
प्राणिन् + शास्त्र – प्राणिशास्त्र

विसर्ग सन्धि (:)

विसर्ग सन्धि – यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यजन आता है तो विसर्ग स्थान पर विकार उत्पनन हो जाता है उसे विसर्ग सन्धि कहते है।

नियम 1 – यदि विसर्ग के बाद त थ आता है तो विसर्ग के स्थान पर स् हो जाता है।

उदाहरण –

नमः + ते – नमस्ते
मनः + ताप – मनस्ताप
शिरः + त्राण – शिरस्त्राण
बहिः + थल – बहिस्थल
मनः + त्याग – मनस्थल
निः + तेज – निस्तेज
शिरस्त्राण – सिर की रक्षा करना

नियम 2 – यदि विसर्ग के बाद च छ आता है तो विसर्ग के स्थान पर श् हो जाता है

उदाहरण –

निः + चय – निश्चय
निः + छल – निश्छल
मनश्चिकित्सक मनः + चिकित्सक – मनश्चिकित्सक
दुः + छल – दुश्छल
आः + चय – आश्चर्य
मनः + चिकित्सा –मनश्चिकित्सा

नियम 3 – यदि विसर्ग से पहले इ या उ और विसर्ग के बाद क ह ट प फ म तो विसर्ग के बाद क ह ठ प आता है।

उदाहरण –

धनुः + टंकार – धनुष्टंकार
आविः + कार – आविष्कार
आयुः + मति – आयुष्मति
आयु + मान – आयुष्मान
चतुः + कोण – चतुश्पाद
चतुः + कोण – चतुष्कोण
परिः + कार – परिष्कार

नियम 4 – यदि विसर्ग के बाद (ष , श , स) आता है तो विसर्ग को लोप नही होता है या फिर बाद वाला वर्ण हो जाता है।